# निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

**प्रकरण संख्या – 72 / 2024(रे0वाद)**
**दायर दिनांक –07 / 08 / 2024**
**निर्णय दिनांक – 04 / 07 / 2025**

अनवान

1. मंगाराम पिता तिलोक आय 68 वर्ष जाति भांबी, निवासी ग्राम टेगी, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द

वादी

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादी

उपस्थित :–
**वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता एवं श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, अधिवक्ता**
**प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार**

**वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**: : निर्णय : :**

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी की स्वामित्व व आधिपत्य व खातेदारी, भूमि राजस्व ग्राम टेगी पटवार हल्का जीरण तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 67 आराजी नम्बर 118 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 119 क्षेत्रफल 1.7000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.7200 हैक्टेयर स्थित होकर वादी कि संयुक्त परिवार की सम्पति है, जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामीत्व व अधिपत्य की है, किन्तु उक्त भूमि में वादी के पिता कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में विरासत का नामान्तरण खालते समय वादी का नाम गलत दर्ज गंगाराम पिता तलोक दर्ज हो गया जबकि वास्तविक में मंगाराम पिता तिलोक दर्ज होना चाहिये था। परन्तु गलती से गंगाराम पिता तलोक दर्ज हो गया था। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 67 में क्रम संख्या 1 पर पर गंगाराम पिता तलोक नाम गलत है। वास्तव में मंगाराम पिता तिलोक होना चाहिये था। पटवारी हल्का ने

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

नामान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम गंगाराम दर्ज कर दिया बिना जांच किये दुसरो के कहने से नाम गंगाराम बता दिया गया था। जिससे मेरा वास्तविक नाम मंगाराम के बजाय राजस्व रेकार्ड में गंगाराम दर्ज हो गया है वर्तमान जमाबन्दी में अभी तक चला आ रहा है उसको दुरस्त करवाने हेतु वाद पत्र पेश है। मेरे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, में मेरा नाम मंगाराम पिता तिलोक दर्ज है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है। मुझे कृषि भूमि पर ऋण वगैरहा लेने से जमीन की नकले निकलवाई तब मुझे गलत नाम का मुझे पता चला एवं जानकारी हुई। भूमि का नामान्तरकरण के समय में नाबालिग था एवं मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम गंगाराम पिता तलोक भुल से लिखा गया है जबकी मेरा नाम मंगाराम पिता तिलोक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम टेगी पटवार मण्डल जीरण में जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 में वादी की खाता संख्या 67 आराजी नम्बर 118 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 119 क्षेत्रफल 1.7000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.7200 हैक्टेयर भूमि में गंगाराम पिता तलोक नाम दर्ज है जो गलत है जबकी मंगाराम पिता तिलोक होना चाहिये। व गंगाराम पिता तलोक नाम का कोई मेर परिवार व गांव में काई व्यक्ति नही है व ताईद में भापथ पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, संलग्न है। वादी के रेकार्ड में सुधार कर गंगाराम पिता तलोक के बजाय मंगाराम पिता तिलोक दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाइल किया गया। जवाब में उल्लेख किया गया कि ग्राम टेगी के जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 65 में खातेदार का नाम मांगिया पिता तिलोक दर्ज है जिसके नामान्तकरण संख्या 428 दिनांक 20.05.2016 से मांगिया के बजाय मंगाराम पिता तिलोक दर्ज किया गया है। जमाबन्दी 2076 के खाता संख्या 67 में खातेदार

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

का नाम गंगाराम पिता तिलोक दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेज में वोटर आईडी, राशनकार्ड, आधार कार्ड में गंगाराम पिता तिलोक दर्ज है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि राजस्व ग्राम टेगी पटवार हल्का जीरण तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 के खाता संख्या 67 आराजी नम्बर 118 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 119 क्षेत्रफल 1.7000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.7200 हैक्टेयर स्थित होकर वादी कि संयुक्त परिवार की सम्पति है, जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की है, किन्तु उक्त भूमि में वादी के पिता कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकार्ड में विरासत का नामान्तरण खालते समय वादी का नाम गलत दर्ज गंगाराम पिता तलोक दर्ज हो गया जबकि वास्तविक में मंगाराम पिता तिलोक दर्ज होना चाहिये था। वादी अधिवक्ता द्वारा राशन कार्ड, आधार-कार्ड, जनाधार-कार्ड, प्रस्तुत किया सभी दस्तावेजो मे वादी का नाम मंगारात पिता तिलोक अंकित है जो कि सही है। साथ ही हरिसिंह पिता नन्दासिंह एवं चेनसिंह पिता हरकुसिंह का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया। अतः राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि किया जाना आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार हैः-

88. Suits for declaration of right—
(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.
(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.
(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

मंगाराम बनाम सरकार
72 / 2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांकः—04 / 07 / 2025

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद—पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों ( आधार कार्ड, जन—आधार कार्ड, राशन कार्ड) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम राजस्व ग्राम टेगी पटवार मण्डल जीरण में जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 में वादी की खाता संख्या 67 आराजी नम्बर 118 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 119 क्षेत्रफल 1.7000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.7200 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम गंगाराम पिता तिलोक को हटाकर उसके स्थान पर मंगाराम पिता तिलोक राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 04 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना [illegible] R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

## मूल वाद मे डिकी ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )
## न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 72 / 2024

### अनवान

1. मंगाराम पिता तिलोक आय 68 वर्ष जाति भांबी, निवासी ग्राम टेगी, तहसील देवगढ, जिला राजसमन्द — वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द —प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता एवं श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 04 / 07 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिकी दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अधिनियम का स्वीकार किया ग्राम राजस्व ग्राम टेगी पटवार मण्डल जीरण में जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2076 में वादी की खाता संख्या 67 आराजी नम्बर 118 क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 119 क्षेत्रफल 1.7000 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल क्षेत्रफल 1.7200 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम गंगाराम पिता तिलोक को हटाकर उसके स्थान पर मंगाराम पिता तिलोक राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार देवगढ़ को भेजी जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 04 / 07 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द